

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थनापत्र प्र0स0 – 102/17

## अनवान

1. रामचन्द्र पिता गोपी नायक उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा मजरा कुण्डियाकंला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
2. बंशी पिता गोपी नायक उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा मजरा कुण्डियाकंला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा

( प्रार्थी )

## बनाम

1. राजु पिता लादु नायक उम्र वयस्क निवासी भवानीपुरा तहसील हुरडा जिला-भीलवाड़ा
2. बजरंग पिता हीरा नायक उम्र वयस्क निवासी भवानीपुरा तहसील हुरडा जिला-भीलवाड़ा
3. शंकर पिता भैरू नायक उम्र वयस्क निवासी भवानीपुरा तहसील हुरडा जिला-भीलवाड़ा
4. नरेन्द्र पिता जगदीश नायक उम्र वयस्क निवासी भवानीपुरा तहसील हुरडा जिला-भीलवाड़ा
5. प्रहलाद पिता सुवालाल नायक उम्र वयस्क निवासी भवानीपुरा तहसील हुरडा जिला-भीलवाड़ा
6. मदन पिता चौथु नायक उम्र वयस्क निवासी भवानीपुरा तहसील हुरडा जिला-भीलवाड़ा
7. शंकर पिता काना गुर्जर उम्र वयस्क निवासी भवानीपुरा तहसील हुरडा जिला-भीलवाड़ा
8. रूपा पिता मांगु रेगर उम्र वयस्क निवासी रेगरो का खेडा, रायला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
9. रामकरण पिता मांगु रेगर उम्र वयस्क निवासी रेगरो का खेडा, रायला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

( अप्रार्थीगण )

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।**

:: निर्णय ::

दिनांक – 14.09.2017

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 01.08.2017 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम कुण्डियाकंला पटवार मण्डल कुण्डियाकंला भू0अ0नि0 रायला तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 953 के आ0न0 1311, 1312, 1317, 1318, 1319 कुल किता 5 रकबा 12-02 बीघा, स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 01.08.2017 पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। दिनांक 14.09.2017 को विपक्षीगणों को जारी सम्मन/नोटीस बाद तामील लौटकर प्राप्त, जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये, विपक्षीगण सूचना के बावजूद नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने से विरुद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्यायिक दृष्टिकोण से स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कुण्डियाकंला पटवार मण्डल कुण्डियाकंला भू0अ0नि0 रायला तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 953 के आ0न0 1311, 1312, 1317, 1318, 1319 कुल किता 5 रकबा 12-02 बीघा, भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक रायला को 1200/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन विन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)

उपखण्ड अधिकारी,

बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

बनेड़ा (भीलवाड़ा)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थनापत्र प्र0स0 – 102/17

अनवान

1. रामचन्द्र पिता गोपी नायक उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा मजरा कुण्डियाकंला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
2. बंशी पिता गोपी नायक उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा मजरा कुण्डियाकंला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा

( प्रार्थी )

बनाम

1. राजु पिता लादु नायक उम्र वयस्क निवासी भवानीपुरा तहसील हुरडा जिला-भीलवाड़ा
2. बजरंग पिता हीरा नायक उम्र वयस्क निवासी भवानीपुरा तहसील हुरडा जिला-भीलवाड़ा
3. शंकर पिता भैरू नायक उम्र वयस्क निवासी भवानीपुरा तहसील हुरडा जिला-भीलवाड़ा
4. नरेन्द्र पिता जगदीश नायक उम्र वयस्क निवासी भवानीपुरा तहसील हुरडा जिला-भीलवाड़ा
5. प्रहलाद पिता सुवालाल नायक उम्र वयस्क निवासी भवानीपुरा तहसील हुरडा जिला-भीलवाड़ा
6. मदन पिता चौथु नायक उम्र वयस्क निवासी भवानीपुरा तहसील हुरडा जिला-भीलवाड़ा
7. शंकर पिता काना गुर्जर उम्र वयस्क निवासी भवानीपुरा तहसील हुरडा जिला-भीलवाड़ा
8. रूपा पिता मांगु रेगर उम्र वयस्क निवासी रेगरो का खेडा, रायला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
9. रामकरण पिता मांगु रेगर उम्र वयस्क निवासी रेगरो का खेडा, रायला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

( अप्रार्थीगण )

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक – 14.09.2017

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 01.08.2017 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम कुण्डियाकंला पटवार मण्डल कुण्डियाकंला भू0अ0नि0 रायला तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 953 के आ0न0 1311, 1312, 1317, 1318, 1319 कुल कित्ता 5 रकबा 12-02 बीघा, स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 01.08.2017 पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। दिनांक 14.09.2017 को विपक्षीगणों को जारी सम्मन/नोटीस बाद तामील लौटकर प्राप्त, जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये, विपक्षीगण सूचना के बावजूद नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने से विरुद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्यायिक दृष्टिकोण से स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कुण्डियाकंला पटवार मण्डल कुण्डियाकंला भू0अ0नि0 रायला तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 953 के आ0न0 1311, 1312, 1317, 1318, 1319 कुल कित्ता 5 रकबा 12-02 बीघा, भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक रायला को 1200/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा  
दिनांक: 14.09.2017

क्रमांक/प्रकरण संख्या/ 102/2017

प्रतिलिपि:-

तहसीलदार, बनेड़ा को पालनार्थ प्रेषित हो ।

(रतनलाल रेगर)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (रा.)**

**पीठाधीन अधिकारी - श्री रतन लाल देग (आ.र.प.स.)**

राजस्थान प्रशासनिक प्रकरण 102/17 -

1	रामचन्द्र पिला गीपी नायक उम्र वयस्क निवासी उम्सदपुरा मजरा कृषिखेताकला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा	अनवरत
2	बंशी पिला गीपी नायक उम्र वयस्क निवासी उम्सदपुरा मजरा कृषिखेताकला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा	प्रार्थी

1.	राजू पिला लार्ड नायक उम्र वयस्क निवासी भवानीपुरा तहसील डूरडा जिला-भीलवाड़ा	बनार
2.	बलराम पिला डौरा नायक उम्र वयस्क निवासी भवानीपुरा तहसील डूरडा जिला-भीलवाड़ा	
3.	रांकर पिला भूक नायक उम्र वयस्क निवासी भवानीपुरा तहसील डूरडा जिला-भीलवाड़ा	
4.	नरेंद्र पिला जगदीश नायक उम्र वयस्क निवासी भवानीपुरा तहसील डूरडा जिला-भीलवाड़ा	
5.	प्रबलाद पिला सुबाल नायक उम्र वयस्क निवासी भवानीपुरा तहसील डूरडा जिला-भीलवाड़ा	
6.	मदन पिला चौधरी नायक उम्र वयस्क निवासी भवानीपुरा तहसील डूरडा जिला-भीलवाड़ा	
7.	रांकर पिला काना गुर्जर उम्र वयस्क निवासी भवानीपुरा तहसील डूरडा जिला-भीलवाड़ा	
8.	कृपा पिला मांगू देग उम्र वयस्क निवासी देगों का खंडा, रायला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा	
9.	रामकरण पिला मांगू देग उम्र वयस्क निवासी देगों का खंडा, रायला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा	
10.	राजस्थान राज्य जॉर्जि तहसीलदेग बनेड़ा जिला भीलवाड़ा	(अप्रार्थीना)

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, २10प्रार्थनियम 1956 बाबत प्रत्यर्थाई कराने के**

: : निर्णय :

दिनांक - 14.09.2017

बाड़ी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 २10प्रार्थनियम 1956 के तहत न्यायालय से दिनांक 01.08.2017 का प्रस्तावित कर निवेदन किया कि बाके ग्राम कृषिखेताकला पटवार मण्डल कृषिखेताकला १०301१0 रायला तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाला संख्या 953 के अंतर्गत 1311, 1312, 1317, 1318, 1319 कुल किता 5 रकबा 12-02 बीघा, स्थित है। उक्त बादयस्त भूमि के विपक्षीना पक्षी है। प्रार्थी एवं विपक्षीना के मध्य आरवणी के सीमा विह नही होने से आयें दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे बाड़ी अपने खाते की कृषि भूमि की प्रत्यर्थाई कराना चाहता है।

प्रस्तावित प्रार्थनापत्र से दिनांक 01.08.2017 पक्षीकृत किया जाकर विपक्षीनाओं को बचत जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया। दिनांक 14.09.2017 को विपक्षीनाओं को जारी समन/नोटिस बावद लामील लौटकर प्राप्त, जिन्हें बालमिल प्रभावणी किये गये, विपक्षीना सूचना के बावजूद नियत धेशी पर अर्जपरिष्कार रहने से विरुद्ध विपक्षीना एकतरफा कार्रवाई के आदेश पारित किये गये। प्रस्तावित प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सूना गया। प्रस्तावित बहस पर नौरीर किया गया। प्रभावणी को ब्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि बादयस्त भूमि प्रार्थीना के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की प्रत्यर्थाई कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्यायिक दृष्टिकोण से स्वीकार योग्य प्रतीत हो रहा है।

: : आदेश :

प्रार्थीना का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीना स्वीकार किया जाकर बाके ग्राम कृषिखेताकला पटवार मण्डल कृषिखेताकला १०301१0 रायला तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाला संख्या 953 के अंतर्गत 1311, 1312, 1317, 1318, 1319 कुल किता 5 रकबा 12-02 बीघा, भूमि की प्रत्यर्थाई बरामानात प्रक्षारण की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक रायला को 1200/- रूपये फीस पर कर निवेदन किया जाता है। कर्मचारी प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक प्रत्यर्थाई से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पञ्जीसिधान को उपयुक्त आराखियात की प्रत्यर्थाई हेतु लिखित सूचना पत्र से समय पूर्व लिखित बाबत सूचित करेगी। भूके पर खड़ी फसल के दौरान प्रत्यर्थाई नही की जावे। प्रक्षारण उभयपक्ष की मौजूदगी में ही प्रत्यर्थाई की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर प्रत्यर्थाई किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनात तहसीलदेग बनेड़ा को भिजावाड़े जावे। खर्चा प्रकीर्ण अपना वहन करे। प्रभावणी फसल शुरू नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.09.2017 को सुने न्यायालय में सुनाया गया।

कमाक/प्रकरण संख्या / 102/2017  
प्रतिनिधि:-

तहसीलदेग, बनेड़ा को पालनात प्रेषित है।

(रतनलाल देग)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा  
दिनांक: 14.09.2017

(रतनलाल देग)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा